

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा न0 22/2025 मिसल आई डी 2025/175 किस्म मुकदमा 136 एल.आर. एक
तारीख रजु 30.4.2025 तारीख फैसला 12.5.2025

उनवान

अशोक कुमार बनाम तहसीलदार सूरौठ

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का चिनायटा, भू.अ.नि. शेरपुर की रिपोर्ट व नायब तहसीलदार शेरपुर की की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ जिला करौली की जमाबंदी संवत 2071-74 के खाता संख्या 17 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	हाडौली	17	जाति महाजन	अशोक कुमार पुत्र फूलचंद की जाति महाजन के स्थान पर जैन राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किया जावे।


(हेमराम गुजर)
उपखण्ड अधिकारी

हिण्डौन
12/5/25

क्रमांक/कोर्ट/ 495-498

दिनांक:- 16-5-25

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. तहसीलदार सूरौठ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. नायब तहसीलदार उपतहसील शेरपुर।
3. प्रार्थी श्री अशोक कुमार पुत्र फूलचंद जाति जैन निवासी शेरपुर को सूचनार्थ।
4. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन